सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

कार्तिक 9, सोमवार, *शाके* 1944-अक्टूबर 31, 2022
Kartika 9, Monday , Saka 1944- October 31, 2022

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 13, 2022

संख्या प.4(16)कृषि/ग्रुप-2/2016 :-जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के तहत समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26.07.2016 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति, सवाईमाधापुर के क्षेत्र में से 20 ग्राम पंचायते क्रमशः अक्षयगढ, अनियाला, बहरावण्डा, कलां, बालेर, बरनावदा, बिचपुरी गुजरान, गण्डावर, गौठ बिहारी, गोठडा, क्यारदा कलां, कोसरा छारेटा तोड, खण्डार, खण्डेवला, कुरेडी, मई कलां, नायपुर, रोडावद, सिंगोर कलां, तलावडा, खिरदरपुर, जादोन के क्षेत्र पृथक कर एक नवीन कृषि उपज मंडी समिति, खण्डार की स्थापना के आशय की घोषणा करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत समंसख्यक अधिसूचना दिनांक 31.08.2016 के द्वारा उक्त क्षेत्र को शामिल करते हुए स्वतंत्र कृषि उपज मण्डी समिति खण्डार की घोषणा की गई थी।

अधिनियम की धारा 6 व 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के प्रयोग के लिए अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, खण्डार का नियमन करती है तथा इस कृषि उपज मण्डी समिति को "द" श्रेणी में वर्गीकृत करती है।

अब राज्य सरकार उपरोक्त अधिनियम की धारा 7(1) (ख) के अन्तर्गत पृथक मंडी समिति का गठन करती है और धारा 7 की उपधारा (1) (ख) एवं धारा 7(2)(ब) के अन्तर्गत उक्त मंडी समिति में निम्नांकित सदस्यों का मनोनयन करती हैः-

<u>कृषक वर्गः-</u>

1. श्री चतर सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह, ग्राम पाली, ग्राम पंचायत पाली, तह0 खण्डार जिला सवाईमाधोपुर।
2. श्री मोजीराम मीणा पुत्र श्योनारायण मीना, ओण्ड मीना, पादडी ग्रा0प0 अनियाला तह0 खण्डार जि0 सवाईमाधोपुर
3. श्री पिन्टू कुमार सिंह गुर्जर पुत्र श्री शम्भू सिंह, ग्रा0 डाबिच ग्रा0प0 तलावडा तह0 खण्डार जिला सवाईमाधोपुर
4. श्री बृजमोहन पुत्र श्री लड्डू लाल, ग्रा0 कमाखोरी, ग्रा0प0- गोठडा, तह0 खण्डार जिला सवाईमाधोपुर
5. श्री देवीराम बैरवा पुत्र श्री सरिया, ग्रा0 बडौद, ग्रा0पं0 वरदाबदा, तह0 खण्डार जिला सवाईमाधोपुर
6. श्री बालमुकन्द गुर्जर, पुत्र श्री मांगीलाल गुर्जर, ग्रा0 सावटा, ग्रा0पं0 नायपुर, तह0 खण्डार जिला सवाईमाधोपुर

<u>व्यापारी वर्गः</u>-

1. श्री ब्रजेश गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम मथुरिया, नई कॉलोनी, खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

<u>सहकारी विपणन सदस्य</u>:-

1. श्री रामकिशन पुत्र श्री सुखजी ग्राम मेई खुर्द ग्रा0 पं0 मेईकलां, तह0 खण्डार जिला सवाईमाधोपुर

सदस्य ग्राम पंचायत

1. श्री हरि ओम गुर्जर पुत्र श्री रतनलाल गुर्जर बससी मोहल्ला, बालेर रोड, तह0 खण्डार जिला सवाईमाधोपुर

विधानसभा का सदस्यः-

1. श्री अशोक बैरबा पुत्र श्री डालचन्द बैरवा, स्थानीय विधायक विधानसभा क्षेत्र खण्डार तह0 खण्डार जिला सवाईमाधोपुर

राज्य सरकार द्वारा नामितः-

1. श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामवतार शर्मा काकोरिया फार्म, तह0 खण्डार तह0 खण्डार जिला सवाईमाधोपुर

उपरोक्त अधिनियम के अभिप्राय के लिए अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत उपरोक्त मंडी क्षेत्र के लिए एक मंडी स्थापित करने की वांछना कृषि उपज मंडी समिति, खण्डार से की जाती है ।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) उस तारीख से प्रभावी होगी जिससे कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंडी यार्ड की घोषणा की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नसीम खान,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।